

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

कमांक प.1(15)खान/ग्रुप-1/2000

जयपुर, दिनांक: 14 JUL 2021

आदेश

खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधीक्षण खनि अभियन्ता पद की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति दर्शाते हुए अस्थाई वरिष्ठता सूची निम्न प्रकार से निर्धारित कर जारी की जाती है। इस वरिष्ठता सूची में यदि किसी अधिकारी को आपत्ति आदि हो तो सूची जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में अपना अभ्यावेदन इस विभाग को प्रस्तुत करे, अन्यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और स्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी:-

क.सं.	नाम अधिकारी	श्रेणी	जन्म तिथि	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री एम.एल.मरमट	SC	27.06.1961	2002-03	-
2.	श्री बी.एस.सोढा	G	08.08.1968	2009-10	-
3.	श्री पी.आर.आमेटा	G	19.07.1965	2009-10	-
4.	श्री महेश माथुर	G	22.01.1970	2011-12	-
5.	श्री पी.एल.मीणा	ST	20.05.1965	2013-14	-
6.	श्री वाई.एस.सहवाल	SC	23.02.1968	2013-14	-
7.	श्री राजीव चौधरी	G	08.01.1965	2013-14	-
8.	श्री जे.के.गुरुबक्षानी	G	19.01.1969	2013-14	-
9.	श्री एन.एस.शक्तावत	G	07.08.1969	2013-14	-
10.	श्री अनिल खिमेसरा	G	04.06.1967	2013-14	-
11.	श्री दीवान सिंह देवडा	G	25.06.1968	2013-14	-
12.	श्री धर्मेन्द्र लौहार	G	27.10.1968	2013-14	-
13.	श्री डी.पी.गौड	G	03.08.1969	2013-14	-
14.	श्री एन.के.वैरवा	SC	14.09.1972	2014-15	-
15.	श्री अविनाश कुलदीप	SC	03.09.1973	2015-16	-
16.	श्री ओ.पी.काबरा	G	18.02.1971	2016-17	-
17.	श्री अरविन्द कुमार नन्दवाना	G	28.06.1965	2017-18	-
18.	श्री प्रतापसिंह मीणा	ST	05.04.1974	2017-18	-
19.	श्री कमलेश्वर बारेगामा	G	08.02.1967	2018-19	-

उक्त वरिष्ठता सूची लम्बित न्यायिक वाद यदि कोई हो, के अंतिम निर्णय के अध्याधीन परिवर्तनशील होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर
3. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें तथा सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर पर वितरित कराये जाने का श्रम करें।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव